प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली, ...थाना.....प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ...2023....
   प्र. इ. रि. स. .....122/2023..... दिनांक .....19/5/2023.....
2. (अ) अधिनियम ....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) .....धारायें....7.....
   (ब) अधिनियम ....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....393.....समय.....7:05PM.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–.....गुरूवार/06.04.2023 .....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – .....393.....लिखित .....
5. घटनास्थल :–.....सेवर, पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर .....
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....बजानिव दिशा पूर्व, दूरी करीब 65 कि.मी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम .....श्री मोरध्वज मीना .....
   (ब) पिता /पति का नाम ...श्री बाबूलाल मीना....जाति ....मीना....(स) जन्म तिथि/वर्ष.....34 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय.....
   (ल) पता.....निवासी ग्राम चिलाचौंद, पुलिस थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर .....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मुन्नालाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मालौनी, पुलिस थाना कोलारी, जिला धौलपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नही.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....रिश्वत की मांग करना.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो–करौली। विषयः– रिश्वत खोर पुलिस वाले को रंगे हाथो पकडवाने बावत महोदय, निवेदन है कि दिनांक 25/3/2023 को मेरे ट्रेक्टर नं. RJ/22 RB 6156 को पुलिस थाना सोने का गुर्जा जिला धौलपुर की पुलिस ने अवैध पत्थर ले जाने के आरोप में गलत बन्द कर दिया जिस पर मुकदमा नं. 14/2023 दर्ज कर तफ्तीस श्री ओमप्रकाश ASI द्वारा की जा रही है। ट्रेक्टर के मामले में दिनांक 26/3/2023 को मैं और मेरा साथी टीकम सिंह पुलिस थाना सोने का गुर्जा पर श्री ओमप्रकाश ASI से मिले तो उसने कम धारा लगाने एवं केस डायरी टाईम पर कोर्ट में भेजने की एवज में हमसे 5000 RS ले लिए। ट्रेक्टर की पावर ऑफ एर्टोनी मेरे चाचा के लड़के ताम्रध्वज S/0 चरन सिंह के नाम है। जिसे फाईल में लगाने के एवज में ओमप्रकाश ASI 10,000 RS की और मांग कर रहे है। मैं उनको पैसा देना नही चाहता। उन्होने रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नही है और नां ही कोई पुराना लेन–देन बकाया है। प्रार्थी हस्ता0 05/4/2023 मोरध्वज मीना S/0 बाबूलाल मीना जाति मीना उम्र 34 वर्ष ग्राम–चिलाचौद, थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर Mob-8058697552 हस्ता0 टीकम सिंह 05/4/2023

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 05.04.2023 समय 05:50 पी.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना, जाति मीना, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम चिलाचौद, थाना

सदर बाड़ी, जिला धौलपुर मय सहपरिवादी श्री टीकम सिंह पुत्र श्री नहनेराम, जाति मीना, उम्र 34 वर्ष, निवासी चिलाचौद, थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत खोर पुलिस वाले को रंगे हाथो पकडवाने बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री मोरध्वज मीना से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो लिखित रिपोर्ट स्वंय द्वारा बोल-बोल कर अपने साथी टीकम सिंह से लिखवाना बताते हुए रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताते हुए रिपोर्ट की ताईद की एवं बताया कि दिनांक 26.03.2023 को मैं और टीकम सिंह पुलिस थाना सोने का गुर्जा गये जहां पर ओमप्रकाश ए.एस.आई. ने हम दोनो से ट्रेक्टर की पॉवर ऑफ अर्टोनी फाईल में लगाने व केस डायरी टाईम पर कोर्ट में भेजने के लिए 10,000/-रूपये मांगे। उस समय हमारे पास रूपये नही होने से हमने बाद में देने के लिए कह दिया। ओमप्रकाश ए.एस.आई. हमे फोन कर चौकी पर मिलने के लिए बुला रहा है, मैने उसको कल सुबह आने के लिए कह दिया है। इस पर परिवादी के साथ आये सहपरिवादी श्री टीकम सिंह ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा श्री मोरध्वज मीना के कहे अनुसार लिखना बताते हुए रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही बताते हुए परिवादी के कथनो की ताईद की। पूछने पर परिवादी व सहपरिवादी ने उधार का लेन-देन बकाया नही होना एवं नां ही कोई दुश्मनी होना बताया। लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया गया। परिवादी द्वारा आरोपी ए.एस. आई. से दिनांक 06.04.2023 को रिश्वत मांग सम्बन्धित वार्ता करने की कहने पर परिवादीगण को सत्यापन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। परिवादी ने बताया कि हम सुबह आपके कार्यालय में आयेगे और वापस जायेगे तो दोपहर हो जायेगी। इस पर परिवादी को दिनांक 06.04.2023 को सुबह ग्राम चिलाचोद में मिलने की कहने पर परिवादी ने चिलाचौद से पहले ग्राम आगई में मैन रोड़ पर सुबह समय 09:00 ए.एम. पर मिलने की कहा। इस पर श्री श्याम सिंह कानि. को कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय की आलमारी में से वाईस रिकार्डर (पेन ड्राईव नुमा) निकाल कर श्री श्याम सिंह कानि. के सामने परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। वाईस रिकार्डर को खाली कर वापस आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। समय 06:40 पी.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह को बाद हिदायत रूकसत किया गया।

दिनांक 06.04.2023 को समय 06:50 ए.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. को मय वाईस रिकार्डर मय सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से बाद हिदायत ग्राम आंगई के लिए रवाना किया गया, जो बाद सत्यापन समय 02:55 पी.एम. पर मय परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह के उपस्थित कार्यालय आये व श्री श्याम सिंह कानि. ने पूछने पर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर ग्राम आंगई के तिराहे (बाईपास) पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह मिले जिनके कहे अनुसार वहां से अलग-अलग मोटर साईकिलों से रवाना होकर पुलिस थाना सोने का गुर्जा के पास पहुंचे जहां पर परिवादी द्वारा आरोपी ए.एस.आई. के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो आरोपी ने पुलिस चौकी सेवर पर मिलने के लिए कहा, जिस पर रवाना होकर पुलिस चौकी सेवर के पास पहुंचे जहां पर वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी मोरध्वज मीना को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी दोनो को स्वयं की मोटर साईकिल से पुलिस चौकी के लिए रवाना किया, मैं वही मोटर साईकिल सहित रूक गया करीब डेढ घण्टा बाद परिवादी व सहपरिवादी वापस मेरे पास आए जिनसे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया और परिवादीगण ने बताया कि हमारी ए.एस.आई. से बात हो गई है उन्होने मुकदमे में हमारी मदद करने व ट्रेक्टर को छुटवाने व डायरी कोर्ट में भेजने की एवज में 10,000/-रूपये मांगे है हमने 5000 रूपये पूर्व में दे दिये है और 5000 रूपये और देने की कह कर आ गये है। फिर हम तीनो वहां से रवाना होकर कार्यालय में आये है। इस पर परिवादी श्री मारध्वज मीना ने श्री श्याम सिंह कानि. के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि मेरी और टीकम सिंह की ओमप्रकाश ए. एस.आई. से पुलिस चौकी में मुकदमे के सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसमें ए.एस.आई. ने मुकदमे में हमारी मदद करने, ट्रेक्टर को छुटवाने व डायरी कोर्ट में भेजने की एवज में 10,000/-रूपये मांगे। हमने 5000 रूपये पूर्व में दिये जाने की कहकर शेष 5000 रूपये और देने की कहा है जिस पर ए.एस. आई. ने गर्दन हिलाते हुए हां कर दी है। सहपरिवादी ने भी पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद

की। समय 03:20 पी.एम. पर गवाहान व परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह की उपस्थिति में वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईवनुमा) को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acer कम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (01:30:56 मिनट) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादीगण से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डब शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर रखा गया। अब तक की कार्यवाही व फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.04.2023 से आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई. द्वारा परिवादीगण से दर्ज मुकदमें में मदद करने, ट्रेक्टर को छुटवाने व डायरी कोर्ट में भेजने की एवज में 10,000/–रूपये की मांग करना पाया गया लेकिन परिवादी द्वारा 5000 रूपये पूर्व में दिये जाने की कहकर शेष 5000 रूपये और देने का स्पष्ट हो चुका है। समय 06:30 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया एवं परिवादी श्री मोरध्वज मीना ने पूछने पर बताया कि ए.एस.आई. को रिश्वत में देने हेतु मेरे पास 5000 रूपयों की व्यवस्था नही है। हम अभी गांव जायेगे और सुबह 5000/–रूपयो की व्यवस्था कर कल दिनांक 07.04.2023 सुबह आपके कार्यालय में आ जायेगे, जिस पर समय 06:50 पी.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह को आरोपी को रिश्वत में देने हेतु राशि की व्यवस्था कर दिनांक 07.04.2023 को समय 08:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 22.04.2023 समय 08:05 ए.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह दिनांक 06.04.2023 के रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये व बताया कि हम आपके कार्यालय से आरोपी को रिश्वत देने हेतु 5000/–रूपये की व्यवस्था करने गांव गये थे लेकिन गांव में जाकर हम खेती बाड़ी में लग गये और खेती से फी होकर हम ट्रेक्टर को छुडाने की प्रक्रिया में लग गये। आज हम 5000/–रूपयों की व्यस्था कर ओमप्रकाश ए.एस.आई. को देने हेतु साथ लाये है। इस पर समय 09:55 ए.एम. पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय करौली के पदनाम की तहरीर जारी कर श्री केशव देव कानि. 600 को जिला चिकित्सालय करौली के लिए रवाना किया गया, जो समय 11:25 ए.एम. पर श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री नीरज व्यास नर्सिंग ऑफिसर आये। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह से स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु कहा तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी जाकर पढ़वाया जाकर ट्रेप कार्यवही के बारे में अवगत कराया। दोनो स्वतंत्र गवाहान लिखित रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। समय 12:15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं सहपरिवादी श्री टीकम सिंह के सामने परिवादी श्री मोरध्वज मीना ने मांगने पर आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई., पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर

1.	एक नोट 500 रूपये का	4 BD161083
2.	एक नोट 500 रूपये का	2 HF 743740
3.	एक नोट 500 रूपये का	2 FG 206267
4.	एक नोट 500 रूपये का	3 GG 245318
5.	एक नोट 500 रूपये का	0 MA 029232
6.	एक नोट 500 रूपये का	7 KD 550501
7.	एक नोट 500 रूपये का	8 BW 388437
8.	एक नोट 500 रूपये का	6 KV 284636
9.	एक नोट 500 रूपये का	4 NK 610196
10.	एक नोट 500 रूपये का	1 ED 324535

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान एवं परिवादी व सहपरिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री केशवदेव शर्मा कानि. 600 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री केशव देव कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मोरध्वज मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नीरज व्यास, नर्सिंग ऑफिसर से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्ति जनक वस्तु नही पाई गई। इसके बाद श्री केशवदेव कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री मोरध्वज मीना के बदन पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ के जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। साथ ही सहपरिवादी को भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना ईशारा नही करपाये तो आप उसके पास से कोई बहाना बनाकर साईड में आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। इसके बाद दोनो गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादीगण व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री केशव देव कानि. से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं सहपरिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री मोरध्वज मीना को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैन ड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 01:50 पी.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय

परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. 600 को वाद हिदायत कार्यालय में छोडा जाकर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह को निजी मोटर साईकिल से वाद हिदायत आगे–आगे रवाना कर श्री राकेश सिंह कानि. 268 व श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय बृजेश कुमार कानि. 461, श्री श्याम सिंह कानि. 599, गोपेन्द्र सिंह कानि. 277, स्वतंत्र गवाह श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर व श्री नीरज शर्मा नर्सिंग ऑफिसर मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 03:50 पी.एम. पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवर जिला धौलपुर पहुंचा, जहां पर परिवादीगण ने बताया की करीब 500 मीटर आगे चम्बल नदी पर बन रहे पुल के पास पुलिस चौकी है, इस पर परिवादी को वाईस रिकार्डर चालू करने की हिदायत कर परिवादी व सहपरिवादी को स्वयं की निजी मोटर साईकिल से आरोपी के पास रवाना कर पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री श्याम सिंह कानि. सरकारी मोटर साईकिल से रवाना हुआ, शेष ट्रेप पार्टी सदस्यो को सरकारी वाहन के पास ही आवश्यक हिदायत कर अग्रिम आदेश का इन्तजार करने हेतु निर्देर्शित किया गया। परिवादी व सहपरिवादी पुलिस चौकी में प्रवेश कर कुछ ही देर में बिना ईशारा किये ही वापस आये और रवाना होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवर के पास पहुंचे, उनके पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री श्याम सिंह कानि. रवाना होकर परिवादीगण के पास पहुंचा जिनसे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा, पूछने पर परिवादी ने बताया कि हम दोनो पुलिस चौकी सेवर में पहुंचे जहां पर एक पुलिस वाला मिला जिनसे हमने ओमप्रकाश ए.एस.आई. के बारे में पूछा तो बाहर जाना बताया, कब तक आयेगे कोई पता नही है इस पर हम वापस आ गये। अगर ए.एस.आई. को फोन करेगे तो वह शक कर सकता है, हम उसका पता कर लेगे और ए.एस.आई. के आने की जानकारी मिलने पर आपको सूचित कर देगे। समय 04:20 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं सहपरिवादी के सामने परिवादी श्री मोरध्वज मीना ने मांगने पर अपने पहने हुए जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी रिश्वती राशि 5,000/–रु निकालकर पेश किये जिनके नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूं–व–हूं होना पाया गया। उक्त नम्बरी रिश्वत राशि 5,000/–रु को एक सफेद कागज का लिफाफा बनाकर रखवाया जाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में रखवाया गया एवं दोनो गवाहान व परिवादी के हाथ सावुन पानी से साफ करवाये गये। समय 04:30 पी.एम. पर परिवादीगण को बाद हिदायत रूकसत कर मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान मस सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी मोटर साईकिल मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, स्पीकर, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवर के पास से रवाना होकर समय 06:20 पी.एम. पर हाजिर कार्यालय आया व सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखे कागज लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि 5,000 रूपये रखी हुई है को विना छेड–छाड किये स्वतंत्र गवाह श्री अरूण शर्मा नर्सिंग अधिकारी के मार्फत निकलवाकर नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो को पुनः कागज के वनाये हुए लिफाफा में रखवाकर श्री बृजेश कुमार कानि. के मार्फत मालखाना में सुरक्षित रखवाये जाकर हाथ सावुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित उपकरणों को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये गये कि जब भी ट्रेप कार्यवाही हेतु तलब किया जावे तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे। स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूकसत किया गया।

दिनांक 24.04.2023 को समय 03:25 पी.एम. पर कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय करौली से जरिये विशेष वाहक स्वतंत्र गवाह श्री नीरज व्यास नर्सिंग ऑफिसर दिनांक 23.04.2023 से 30.04.2023 तक अवकाश पर होने के कारण इनके स्थान पर श्री धीर सिंह मीना नर्सिंग ऑफिसर को मनोनीत किया किये जाने बाबत पत्र क्रमाक 117 दिनांक 23.04.2023 प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 27.04.2023 को समय 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह उपस्थित कार्यालय आये और मन उप अधीक्षक पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर पेश शुदा रिश्वत राशि लौटाने बाबत लिखित रिपोर्ट पेश की। लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया और रिपोर्ट में अंकित तथ्य बाबत परिवादीगण से दरियाप्त कि तो पेश रिपोर्ट की ताईद करते हुए बताया कि अब

ओमप्रकाश ए.एस.आई. एवं अन्य पुलिस वाले हम पर शक कर रहे है और ओमप्रकाश ए.एस.आई. हमारा फोन भी नही उठा रहा है। अब ओमप्रकाश ए.एस.आई. हमसे रूपये नही लेगा। अतः हमारे द्वारा दिनांक 22.04.2023 को पेश किये गये 5000/–रूपये लौटाने की कृपा करे और ओमप्रकाश ए.एस.आई. के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादीगण द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट व दरियाप्त से स्पष्ट है कि आरोपी अब रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा दिनांक 22.04.2023 को पेश शुदा रिश्वत राशि 5000/–रूपये जो मालखाना में सुरक्षित रखी हुई है की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नही होने से ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान को तलब कर लौटाया जाना उचित होने के कारण ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तलब किया गया। समय 03:15 पी.एम. पर तलब शुदा स्वतंत्र गवाह श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री धीर सिंह मीना नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित कार्यालय आये एवं श्री धीर सिंह नर्सिंग ऑफिसर का परिवादीगण से परिचय करवाया गया तथा अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। समय 04:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं सहपरिवादी श्री टीकम सिंह के सामने श्री वृजेश कुमार कानि. 461 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक से दिनांक 22.04.2023 को मालखाना में रखवाई गई फिनॉपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 5000/–रूपये को मालखाना से निकलवा कर श्री वृजेश कुमार कानि. से नोटों पर लगे हुए फिनॉपथलीन पाउडर को अच्छी तरह झड़कवाकर साफ करवाकर स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दिनांक 22.04.2023 को तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये जिनकी ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नही होने से परिवादी श्री मोरध्वज मीना को जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। कागज लिफाफा का जलाकर नष्ट करवाया गया। समय 04:30 पी. एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 26 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 05:00 पी.एम. पर परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण शर्मा नर्सिंग ऑफिसर एवं श्री धीर सिंह मीना नर्सिंग ऑफिसर को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मोरध्वज मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना, जाति मीना, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम चिलाचौद, थाना सदर बाडी, जिला धौलपुर के विरूद्ध पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर में दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई. द्वारा परिवादी श्री मोरध्वज मीना व सहपरिवादी श्री टीकम सिंह से 5000/–रूपये प्राप्त कर 10000/–रूपये और रिश्वत की मांग करने वगैरा रिपोर्ट दिनांक 05.04. 2023 पर दिनांक 06.04.2023 को सत्यापन करवाया गया तो वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई. द्वारा परिवादी श्री मोरध्वज मीना के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने, ट्रेक्टर को छुटवाने व डायरी कोर्ट में भेजने की एवज में 10,000/–रूपये मांगे, जिस पर परिवादीगण द्वारा 5000 रूपये पूर्व में दिये जाने की कहकर शेष 5000 रूपये और देने की कहा है, परिवादीगण कथनानुसार आरोपी ए.एस.आई. द्वारा गर्दन हिलाते हुए हां की गई। उक्त मांग की अनुसरण में दिनांक 22.04.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई. नही मिलने के कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। दिनांक 27.04.2023 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र अनुसार आरोपी को परिवादीगण पर शक होने के वजह से बात नही करना पाया गया। आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई., पुलिस थाना सोंने का गुर्जा, जिला धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) के वकू में आना पाया जाता है। आरोपी ओमप्रकाश ए.एस.आई., जिला करौली का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का जुर्म होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी **ओमप्रकाश पुत्र श्री मुन्नालाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मालौनी, पुलिस थाना कोलारी, जिला धौलपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर** के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सुचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमूर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोने का गुर्जा, जिला धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 123/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 930-33 दिनांक 19.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

19.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।